# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः— आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर
345/2022 प्रा0प0

दायर दिनांक
21.09.2022

उनवान

1. श्री जगन्नाथ पुत्र गणेश गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री ओम पुत्र गणेश गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री पेमा पुत्र गणेश गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री बंशी पुत्र गणेश गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री जमना पुत्र जोधा गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री नारायण पुत्र जोधा गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री लादु पुत्र जोधा गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्री श्यामलाल पुत्र जोधा गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. श्री सोहन पुत्र जोधा गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. सुश्री लादी पुत्री जोधा गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. श्रीमति रूकमा पत्नी जोधा गाडरी निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति गीता पत्नी श्री माधु जाट निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री मदन पुत्र माधु जाट निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री रतन पुत्र माधु जाट निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति सम्पति पुत्री माधु पत्नी नानूराम जाट निवासी हाल मु0 सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री शंकर पुत्र भागीरथ जाट निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—
1—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार जोशी
2—विपक्षी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांकः—23.01.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम नौगांवा प0ह0 भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी नम्बर 149 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो सरकारी रास्ता से होकर विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 151 किस्म गे.मु. रास्ता से होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आराजी में वर्षो पूर्व समय से आते जाते है जिससे प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि में खाद बिज डालने पशु लाने ले जाने कृषि उपकरण रखने बाबत बेलगाडी संजबेल ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहते है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई भी रास्ता मौजूद नही है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने का एक मात्र रास्ता अत्यंतिक आवश्यक उक्त तधुत्तम कदीमी रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है लेकिन विपक्षीगण की नियत में फितुर पैदा होने से उक्त वर्णित गे.मु. रास्ते में अवरौध पेदा करने लग गये है जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 09.08.2022 व 01.09.2022 को रास्ते में अवरौध पैदा नही करने व विपक्षीगणों के खातेदारी में दर्ज रास्ते को बिलानाम सरकार के नाम पर रास्ता दर्ज कराने हेतु कहा पर साफ तौर से इन्कार हो गये व रास्ते को बंद करने की धमकी दी गई है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड सरकार के नाम दर्ज नही होने से उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमाई जारक के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार में दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम नौगांवा प0ह0 भोपालगढ के आराजी संख्या पर जाने के लिये विपक्षीगण की आराजी संख्या 149 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 151 गे.मु. रास्ता को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये, विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 05 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से दिनांक 11.01.2024 एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र 251–ए पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम नौगांवा प0ह0 भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी नम्बर 149 रकबा 0.2276 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो सरकारी रास्ता से होकर विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 151 किस्म गे.मु. रास्ता से होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आराजी में वर्षो पूर्व समय से आते जाते है जिससे प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि में खाद बिज डालने पशु लाने ले जाने कृषि उपकरण रखने बाबत बेलगाडी संजबेल ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहते है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई भी रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो सरकारी रास्ता से होकर विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 151 किस्म गे.मु. रास्ता से होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आराजी में वर्षो पूर्व समय से आते जाते है जिससे प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि में खाद बिज डालने पशु लाने ले जाने कृषि उपकरण रखने बाबत बेलगाडी संजबेल ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहते है उक्त रास्ते के

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अलावा प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई भी रास्ता मौजूद नही है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे :– प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। (नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है)
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है। इसमें किसी भी प्रकार से भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है :–
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीग की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि की एवज में प्रार्थीगण की आराजियात नही चाहते है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया, आराजी नम्बर 151 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई। मौका पर्चा संलग्न है।
5. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षैत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षैत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें।(मय पर्चा मौका):–तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम है, रास्ते की चौडाई 22 फीट व लम्बाई 130 फीट अर्थात 0.0253 हैक्टेयर भूमि है। उक्त आराजी की डीएलसी दर 162807/– रूपये प्रति हैक्टेयर है प्रस्तावित रास्ते की भूमि को दुगुना करने पर 8238/– रूपये बनती है। (मौका पर्चा, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस संलग्न है)

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा नौगांवा प0ह0 भोपालगढ में स्थित आराजी नम्बर 149 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 151 से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है।

Ghad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं0 151 विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि चांदी पत्नि भागीरथ जाट सा0 देह की मृत्यु होकर इसके विधिक वारिस पूर्व में ही पक्षकार संख्या 01 से लगायत 05 रेकार्ड पर है। अतः मौजा नौगांवा प0ह0 भोपालगढ की आराजियात संख्या 149 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–,ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

3. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहॉ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

**—:: आदेश ::—**

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा नौगांवा प0ह0 भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 49 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा नौगांवा के आ.नं. 151 है। जिसका रकबा लम्बाई 136 फीट व चौडाई 22 फीट का कुल क्षैत्रफल 0.0253 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत की जाती है। उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से राशि 4119—00 रूपये बनती है जो डीएलसी दर का दोगुना करने पर 8238—00 राशि रूपये जो कि अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा